अदिति महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
छात्रसंघ चुनाव आचार–संहिता 2023

AM/2023/1606 01-9-23

अनुशासन–नियम

छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर छात्राओं से उनके पहचान पत्र तथा जुर्माना (रु.50/–) लिए जाएंगे।

नियम

1. कक्षाओं के बाहर खड़े होकर तथा वहां से गुजरते हुए शांति बनाएं रखें।
2. यदि अध्यापिका को किसी कारणवश कक्षा में आने में विलम्ब हो रहा है तो छात्राएं कक्षा में अध्यापिका का इंतजार करें तथा शांति बनाएं रखें।
3. पुस्तकालय के बाहर एवं अंदर शांति बनाएं रखे।
4. केंटिन के बर्तन तथा खाने की वस्तुएं कक्षा में छोड़कर न जाएं।
5. समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने शौचालय का प्रयोग करें। अध्यापिकाओं के शौचालय का प्रयोग करना वर्जित है।
6. महाविद्यालय में सफाई का विशेप ध्यान रखे।

1/09/23

डॉ0 ऋतु शर्मा
चुनाव अधिकारी

Mamta
प्रो0 ममता शर्मा
प्राचार्या

अदिति महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
छात्रसंघ चुनाव आचार–संहिता 2023

AM/2023/1607

छात्रसंघ चुनाव संबंधी आवश्यक सूचना

01-9-23

1. महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो छात्राएँ छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भाग लेना चाहती हैं तथा वे सभी छात्राएँ जो छात्रसंघ चुनाव में वोट डालना चाहती हैं सभी के लिए आवश्यक है कि वे अपनी इस शैक्षणिक सत्र की फीस 12 सितम्बर, 2023 तक अवश्य जमा करा दें (प्रत्याशी फीस की रसीद की प्रति आवेदन फार्म के साथ सलंग्न करें) अन्यथा छात्रसंघ चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगी।

2. छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भाग लेने वाली छात्राओं की उम्र 16 अगस्त, 2023 तक 17 से 22 वर्प की उम्र सीमा नियत की गई है।

3. प्रत्याशी के रूप में भाग लेने वाली प्रत्येक छात्रा की पिछले शैक्षणिक सत्र 2022–23 में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

4 प्रत्याशी के रूप में भाग लेने वाली छात्राऍं सभी विपयों में सफल होनी चाहिये । पूर्ण रूप से सफल छात्राओं को ही चुनाव लडने का अधिकार है ।

5 प्रत्याशी के रूप में भाग लेने वाली छात्राओं का पहले कभी भी महाविद्यालय के किसी भी पद हेतु चुनाव नहीं लडा होना चाहिये ।

6. कोई भी छात्रा एक से अधिक पद पर चुनाव नहीं लड़ सकती है।

7. पुनः प्रवेश प्राप्त छात्राएँ चुनाव प्रत्याशी के रूप में भाग नहीं ले सकती है।

8 प्रत्याशी के रूप में भाग ले रही छात्राऍं एक शपथपत्र अपने नामांकन पत्र के साथ ही जमा करवायेगी । शपथ पत्र ना होने की स्थिति में नामांकन पत्र रदद कर दिया जायेगा ।

01/09/23

डॉ0 ऋतु शर्मा
चुनाव अधिकारी

Mamta

प्रौ0 ममता शर्मा
प्राचार्या

अदिति महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)

AM\2023\1608

01-9-23

छात्रसंघ चुनाव आचार–संहिता 2023–24

1. महाविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव लड़ रही छात्राएँ अधिकतम सीमा खर्च रु.5000/– है। इससे ज्यादा खर्च करने वाली छात्राओं का नामांकन रद्द किया जा सकता है।

2. छात्रसंघ चुनाव लड़ने वाली छात्राएँ अन्य छात्राओं के बीच में कोई भी मतभेद या विवाद जाति, भाषा या धर्म के आधार पर उत्पन्न नहीं करेंगी। यदि ऐसा पाया गया तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

3. छात्रसंघ चुनाव लड़ने वाली छात्राएँ अगर किसी अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाई जाती हैं या वोट लेने के लिए भ्रष्ट तरीके जैसे – पैसे या लालच देकर वोट लेना, छात्राओं को किसी तरह का परिवहन उपलब्ध करवाना, फिल्म दिखाना, कैन्टीन में खाने की वस्तु खिलाना आदि में संलिप्त पाई जाती हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

4. चुनाव के 24 घंटे पहले से चुनाव के समय तक सामूहिक मीटिंग करने पर व चुनाव वाले दिन चुनाव स्थल से 100 मीटर की दूरी न रखने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

5. कोई भी पोस्टर, बैनर आदि लगाने पर और महाविद्यालय–परिसर में किसी भी सम्पति को हानि पहुँचाने व गन्दा करने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

6. छात्रसंघ चुनाव में केवल हाथ से बनाए हुए पोस्टर ही महाविद्यालय द्वारा नियत किए गए स्थान पर लगाए जाएँगे और तय स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर लगाने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

7. छात्रसंघ चुनाव लड़नेवाली छात्राएँ या उनके सहायक महाविद्यालय प्रांगण में किसी भी तरह की तोड़–फोड़ नहीं करेंगे और न ही शोर करेंगे। ऐसा पाए जाने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

01/09/23

चुनाव अधिकारी

Namita

प्राचार्या